



283



प्रदीप श्रीवास्तव
23/3/2002
राज आजी

रामेश्वर तनय श्री बेनीमाधव पटेल
ग्राम कुसपरी तह० चुरहट जिला सीधी
म० प्र०

20-3-02

-अपीलाण्ट

R-686-III/2002

- बनाम
- श्रीमती फुल्ली पुत्री बेनीमाधव पत्नी सुदामा प्रसाद नि.मोहनिया तह० सुस * दुर्गासय * बेबा * पत्नी * श्री * राखन * पटेल, चुरहट जिला सीधी म० प्र० ।
 - शेषमणि तनय श्री लल्ला पटेल,
 - वंशराखन तनय श्री वीशष्ट पटेल,

उक्त समस्त निवासी ग्राम कुसपरी तह० चुरहट जिला सीधी म.प्र.

-रेस्पाडेन्ट

Shri...
28/3/02

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग
रीवा ६० प्रकरण क्र० 407 अपील 93-94
आदेश दिनांक 3-3-2002

मुताविक आदेश 43 नियम । १६ सहपठित
धारा 43 एवं 44 म० प्र० भू-राजस्व संहिता
सन् 1959 ई.

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित है:-

- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है ।
- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में विशाले तनय श्री बेनीमाधव जो रेस्पा० क्र० 1 था, की मृत्यु हो जाने से तथा विशाले की शादी न होने से कोई प्रथम श्रेणी का आल-ओलाद न होने से धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1 की अनुसूची वर्ग-2 के वारिसों में से अपीलाण्ट व विशाले की शौतेली वहन श्रीमती फुल्ली पुत्री बेनीमाधव वारिस थे, जिनमें अपीलाण्ट पहले से ही पक्षकार था, तथा श्रीमती फुल्ली को विशाले के स्थान पर रिकार्ड में लाने का आवेदन पत्र अपीलाण्ट द्वारा दिया गया

Handwritten mark

रामाक्षय / पुस्तक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R- 686 II/02 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/8/17	<p>आवक्य समितो का- पूर्णतया वाक्य- आवक्य के आवाक्य लगावार्थ कार्य करके उपस्थित नहीं। अतः अनुपस्थित होने के कारण प्रकृत आवक्य पर 2000 रु. का शुल्क आता है</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	